

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 10 अक्टूबर, 2017

विषय: राज्य सरकार की सेवा से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों / स्वायत्तशासी संस्थाओं में स्थायी रूप से संविलीन कार्मिकों की राजकीय सेवाओं हेतु अनुमन्य पेंशन का दिनांक 01-01-2016 से संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 30प्र0 वेतन समिति, 2017 की संस्तुति दिनांक 25 अप्रैल, 2017 में यह अनुशंसा की गयी है कि -

- (1) जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों में स्थायी रूप से संविलीन होने वाले सरकारी कर्मचारी, सरकार से पृथक रूप से अपनी पेंशन आहरित करना जारी रखते हैं, ऐसे कर्मचारियों को सरकार से प्राप्त होने वाली पेंशन का दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षण सरकारी पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्य-39/2016-सा-3-923/दस-2016/308/2016, दिनांक 23-12-2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। जहाँ सरकारी कर्मचारियों ने अपनी पेंशन के 100 प्रतिशत के समान एकमुश्त सीमांत लाभ अर्जित कर लिया है और पेंशन के सारांशीकृत भाग की बहाली के पात्र हो गये हैं, उन कर्मचारियों के मामले उपर्युक्त शासनादेश से आच्छादित नहीं होंगे। ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन के विनियमन के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा आदेश निर्गत किये जाने पर तदुसार कार्यवाही की जायेगी।
 - (2) ऐस मामलों में जहाँ सरकारी कर्मचारियों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों में स्थाई संविलियन की शर्तों या नियमों में राज्य सरकार की भांति पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता सम्मिलित हो, वहाँ पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उर्युक्त शासनादेश संख्या-39/2016/ सा-3-923/दस-2016-308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।
- 2- 30प्र0 वेतन समिति (2017) की उपर्युक्त संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार की सेवा से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में स्थाई रूप से संविलीन होने के

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उपरान्त सेवानिवृत्त हुये ऐसे पेंशनर जिन्हें राजकीय सेवा के अंश की पेंशन/पारिवारिक पेंशन सरकार से पृथक रूप से प्राप्त हो रही है, उनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षण वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-39/2016/सा-3-923/दस-2016-308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 की व्यवस्थाओं के अनुसार किया जायेगा। यह व्यवस्था उक्त श्रेणी के ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होगी जिनकी 100 प्रतिशत पेंशन का एकमुश्त भुगतान किया जा चुका है तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15 दिसम्बर, 1975 के अधीन राशिकृत भाग का पुर्नस्थापना किया जा चुका है।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
एम0पी0 अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या-34/2017/सा-3-313(1)/दस-2017, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 8वाँ तल इन्दिरा भवन, 30प्र0, लखनऊ।
- 2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, 30प्र0, लखनऊ।
- 3- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 4- निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो।
- 5- मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, 30प्र0।
- 6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- गार्ड फाइल, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।